रजिस्टर्ड नं0 HP/13/SML-2005.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, मंगलवार, 20 सितम्बर, 2005/29 भाद्रपद, 1927

हिमाचल प्रदेश सरकार

आवास विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 12 सितम्बर, 2005

संख्या एच0 एस0 जी0-ए (3)-2/2005.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2004 (2004 का 9) की धारा 61 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के प्रयोजनों को क्रियान्वित करने के लिए निम्नलिखित नियमों को बनाने का प्रस्ताव करते हैं और उसे एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 1 की उप-धारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित, जनसाधारण की जानकारी के लिए राजपत्र (असाधारण), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित करते हैं ;

इन नियमों से सम्भाव्य प्रभावित होने वाला कोई व्यक्ति यदि उक्त, नियमों के बाबत कोई आक्षेप या सुझाव देना चाहे, तो वह, इसके राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित होने की तारीख से 30 दिन की अवधि के भीतर, सचिव (आवास), हिमाचल प्रदेश, शिमला-171002 को भेज सकेगा ;

2430-राजपत्र/2005-20-9-2005—1,463. (3197) मूल्य : 1 रुपया।

सरकार द्वारा इन नियमों को अन्तिम रूप देने से पूर्व उपर्युक्त नियत अवधि के भीतर प्राप्त हुए आक्षेप(पों) या सुझाव(वों), यदि कोई हों, पर विचार किया जाएगा, अर्थात् :—

प्रारूप नियम

1. संक्षिप्त नाम.—इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों के पारिश्रमिक और भत्ते तथा उनकी शक्तियां और कर्त्तव्य) नियम, 2005 है ।

2. परिभाषाएं.—(1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "अधिनियम" से, हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2004 (2004 का 9) अभिप्रेत है ;

(ख) "प्राधिकरण" से, अधिनियम की धारा 3 के अधीन स्थापित हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण अभिप्रेत है ;

(ग) "अध्यक्ष" से, प्राधिकरण का अध्यक्ष अभिप्रेत है ;

(घ) "कुटुम्ब" से, अवयस्क संतान और माता-पिता जो पूर्णतया उस व्यक्ति पर आश्रित हैं, अभिप्रेत है;

(ङ) "सरकार या राज्य सरकार" से, हिमाचल प्रदेश सरकार अभिप्रेत है;

(च) "सदस्य" से, प्राधिकरण का सदस्य अभिप्रेत है ;

(छ) "उपाध्यक्ष" से, प्राधिकरण का उपाध्यक्ष अभिप्रेत है ;

(2) ऐसे अन्य सभी शब्दों और पदों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं, किन्तु परिभाषित नहीं हैं, के क्रमशः वही अर्थ होंगे, जो अधिनियम में समनुदेशित है ।

3. अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पारिश्रमिक.—(1) यदि किसी सरकारी अधिकारी को, यथास्थिति, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष नियुक्त किया जाता है, तो वह स्वयं की श्रेणी (ग्रेड) वेतन और भत्तों के अतिरिक्त, सरकार द्वारा स्वीकृत किये जाने वाले विशेष वेतन और पारिश्रमिक प्राप्त करने का हकदार होगा ।

(2) यदि किसी सेवानिवृत्त या पुनः नियोजित सरकारी अधिकारी को, यथास्थिति अध्यक्ष या उपाध्यक्ष नियुक्त किया जाता है, उसे, कुल मासिक पैंशन को घटा कर, सेवानिवृति के समय मिलने वाले अधिष्ठायी वेतन और भत्ते मिलेंगे :

परन्तु जहां सरकारी अधिकारी अपने सेवानिवृति के समय कम से कम लगातार एक वर्ष से अन्यून अवधि तक स्थानापन्न वेतन प्राप्त करता रहा हो, उसे, कुल मासिक पैंशन को घटा कर स्थानापन्न वेतन और भत्ते मिलेंगे ।

स्पष्टीकरण.—इस नियम में यथा प्रयुक्त "कुल मासिक पैंशन" शब्दों से पैंशन जमा पैंशन समतुल्य मूल्य तथा सेवानिवृति उपदान और रूपान्तरित पैंशन अभिप्रेत है ।

(3) यदि कोई गैर-सरकारी व्यक्ति अध्यक्ष/उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त होता है, उसे तीन हजार रुपये प्रति माह की दर से पारिश्रमिक संदत्त किया जायेगा ।

(4) यदि यथास्थिति, कोई मन्त्री, या मुख्य संसदीय सचिव या संसदीय सचिव या विधान सभा सदस्य या संसद सदस्य, यथास्थिति, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त होता है, वह सिवाय यात्रा और दैनिक भत्ते के किसी पारिश्रमिक का हकदार नहीं होगा ।

4. सत्कार भत्ता.—अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, यदि वह सरकार के राज्य मन्त्री के समकक्ष हो तो उसे एक हजार रुपये प्रति मास अन्यथा आठ सौ रुपये प्रति माह सत्कार भत्ता ही संदत्त किया जायेगा ।

5. वाहन भत्ता.—(1) यथास्थिति, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, यान, जिसके अनुरक्षण और चालन प्रोपलशन का व्यय प्राधिकरण द्वारा वहन किया जायेगा, का उपयोग करने या उसके बदले में पांच सौ रुपये प्रतिमास वाहन भत्ते का हकदार होगा ।

(2) यथास्थिति, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, यदि अपनी कार का प्रयोग करता है, तो उप-नियम (1) में उपबन्धित वाहन भत्ता के बदले में, प्राधिकरण के खर्च पर चालक की सेवाएं विकल्प कर सकता है ।

6. निवास.—(1) मन्त्री, मुख्य संसदीय सचिव, संसदीय सचिव और सरकारी अधिकारी से अन्यथा, यथास्थिति, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष जो सरकारी आवास सुविधा का अधिभोगी है, को अर्द्ध-सुसज्जित गृह जिसके रख-रखाव का खर्चा प्राधिकरण द्वारा किया जायेगा, उपलब्ध किया जायेगा या ऐसे गृह के बदले में दो हजार पांच सौ रुपये प्रतिमास की दर से भत्ता संदत्त किया जायेगा ।

(2) प्राधिकरण, यथास्थिति, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को उसके अध्यक्ष या उपाध्यक्ष पद से हटाये जाने की तारीख से अधिकतम पन्द्रह दिनों की अवधि के लिए उस को उपलब्ध किए गृह में रहने की अनुमति दे सकेगा ।

(3) यथास्थिति, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, उसको आवंटित अर्द्ध-सुसज्जित गृह की बाबत, अपने वेतन या पारिश्रमिक का, दस प्रतिशत की दर से अनुज्ञप्ति फीस देने का दायी होगा, जोकि हर मास उसके वेतन और पारिश्रमिक से वसूलीय होगा ।

स्पष्टीकरण.—यथास्थिति, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष यदि, उसको निवास (के लिए) हेतु आवंटित गृह का मानक भाटक, उप-नियम (1) में विनिर्दिष्ट रकम से अधिक हो जाता है, वैयक्तिक रूप से किसी संदाय के लिए दायी नहीं होंगे ।

7. जल और विद्युत प्रभार.—प्राधिकरण द्वारा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को उपलब्ध करवाये गये निवास का वास्तविक जल और विद्युत प्रभार, प्राधिकरण द्वारा वहन किया जाएगा ।

8. मुफ्त दूरभाष प्रतिष्ठापन.—यथास्थिति, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, अपने निवास पर दूरभाष प्रतिष्ठापित करने के लिए हकदार होगा, ऐसे दूरभाष के प्रथम प्रतिष्ठापन का प्रभार और प्रतिभूति निक्षेप तथा वार्षिक भाटक प्राधिकरण द्वारा वहन किया जायेगा और अन्य समस्त खर्चे जो स्थानीय या बाहरी कालों से सम्बन्धित हैं आरम्भ में यथास्थिति, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष द्वारा संदत्त किए जाएंगे :

परन्तु, यथास्थिति, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष द्वारा उपगत स्थानीय और बाहरी कालों का एक महीने के खर्चे की, यथास्थिति, अध्यक्ष के मामले में अधिकतम तीन हजार रुपये और उपाध्यक्ष के मामले में अधिकतम दो हजार पांच सौ रुपये की प्रतिपूर्ति प्राधिकरण द्वारा की जायेगी :

परन्तु यह और कि, यथास्थिति, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, उसके, यथास्थिति, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष पद से हटाये जाने की तारीख से अधिकतम पन्द्रह दिनों की अवधि के लिए उसको उपलब्ध करवाई गई दूरभाष सुविधा का निरन्तर उपयोग कर सकेगा।

9. यात्रा और दैनिक भत्ते.—(1) यथास्थिति, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, प्राधिकरण के प्रयोजनों के लिए की गई यात्राओं हेतु, एक सौ पच्चास रुपये प्रतिदिन की दर से दैनिक भत्ता प्राप्त करने का हकदार होगा :

परन्तु प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध करवाये गये यान से की गई यात्रा की बाबत किसी प्रकार का मील और यात्रा भत्ता प्रभार्य नहीं होगा ।

(2) यदि यथास्थिति, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, यथास्थिति, मन्त्री या मुख्य संसदीय सचिव, या संसदीय सचिव या विधान सभा सदस्य या संसद सदस्य हो, तो वह यात्रा और दैनिक भत्ता, उन्हीं दरों से और उन्हीं शर्तों और निबन्धनों के अध्याधीन, यथास्थिति, जैसा कि उसे मन्त्री या मुख्य संसदीय सचिव, या संसदीय सचिव या विधान सभा सदस्य या संसद सदस्य के रूप में अनुज्ञेय है, प्राप्त करने का हकदार होगा ।

(3) यथास्थिति, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, अपने यात्रा भत्ता बिलों को प्रतिहस्ताक्षरित करने के प्रयोजन हेतु नियन्त्रक अधिकारी होगा ।

10. अवकाश यात्रा सुविधा.—यथास्थिति, अध्यक्ष/उपाध्यक्ष को अवकाश यात्रा/गृह यात्रा सुविधाएं, जैसी सरकार के उच्चतम श्रेणी-I अधिकारी को अनुज्ञेय है, का हकदार होगा।

11. चिकित्सा सुविधाएं.—यथास्थिति, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष और उसका कुटुम्ब ऐसी चिकित्सा सुविधाओं जैसी सरकार के उच्चतम श्रेणी-I अधिकारी को अनुज्ञेय है, का हकदार होगा।

12. छुट्टी.—(1) अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो सरकारी अधिकारी हैं, आकस्मिक छुट्टी सहित ऐसे प्रकार की छुट्टी जैसी उनको सेवा नियमों के उपबन्धों के अधीन, सरकारी कर्मचारी के रूप में लागू है, का हकदार होगा।

(2) अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो सरकारी अधिकारी नहीं हैं, को ऐसी छुट्टी दी जाएगी, जैसी कि राज्य सरकार के श्रेणी-I अधिकारियों को अनुज्ञेय है ।

(3) अध्यक्ष को छुट्टी प्रदान करने की शक्ति सरकार में निहित होगी ।

(4) उपाध्यक्ष को छुट्टी प्रदान करने की शक्ति अध्यक्ष में निहित होगी।

13. अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की शक्तियां और कर्तव्य.—(1) अध्यक्ष, अधिनियम के अधीन, प्राधिकरण के उचित कृत्यों, इसके विनिश्चयों के क्रियान्वयन और इसके कर्तव्यों के निर्वहन के लिए उत्तरदायी होगा।

(2) ऐसे प्रत्यायोजन के अध्याधीन, जो अधिनियम और तद्धीन बनाये गये नियमों के अधीन बनाया जाए, अध्यक्ष निम्नलिखित करेगा :—

(क) महत्वपूर्ण कागज पत्रों और मामलों को, यथाशीघ्र साध्य, प्राधिकरण को पेश करना;

(ख) प्राधिकरण के विनिश्चयों को क्रियान्वित करने की ऐसी रीतियों के निदेश जारी करना,

(ग) प्राधिकरण के व्यय और प्राप्ति के खातों को बनाए या बनवाए रखना; और

(घ) प्राधिकरण के कार्यों की वार्षिक प्रारूप रिपोर्ट प्राधिकरण के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करेगा और प्राधिकरण द्वारा यथा अनुमोदित रिपोर्ट को सरकार को प्रस्तुत करेगा तथा प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित रिपोर्ट को प्राधिकरण के सदस्यों के सूचनार्थ परिचालित भी करेगा ।

(3) अध्यक्ष, प्राधिकरण की प्रत्येक बैठक जिसमें वह स्वयं उपस्थित है, की अध्यक्षता करेगा ।

(4) अध्यक्ष को, प्राधिकरण की आम बैठकें संयोजित करने की शक्ति होगी और स्वयं या सरकार के निर्देशन पर प्राधिकरण की विशेष बैठक संयोजित करने की शक्ति भी होगी ।

(5) अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, प्राधिकरण की बैठक के समक्ष आने वाले समस्त प्रश्नों का, उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के बहुमत द्वारा विनिश्चय किया जाएगा और मत बराबर होने की स्थिति में अध्यक्ष का दूसरा और निर्णायक मत होगा ।

(6) अध्यक्ष को, किसी भी समय, उसमें विहित समस्त और किन्हीं शक्तियों को लिखित आदेश द्वारा, उपाध्यक्ष को देने और शक्तियों को समान रीति से प्रत्याहृत करने की शक्ति होगी ।

(7) यदि कोई सदस्य प्राधिकरण की बैठक में बनाए गए, अध्यक्ष के किसी आदेश या विनिर्णय पर लगातार प्रश्न करता है या अवहेलना करता है तो अध्यक्ष, उस सदस्य को उस दिन के लिए निलम्बित कर सकेगा ।

(8) कोई भी प्रस्ताव जो प्राधिकरण द्वारा नहीं माना गया है, उसके न माने जाने की तारीख से छह महीने की अवधि के भीतर, अध्यक्ष की पूर्व अनुज्ञा के सिवाय, दोबारा से प्रस्तुत नहीं किया जाएगा ।

(9) अध्यक्ष की सहमती के बिना, कार्यसूची पत्र में यथा अन्तर्विष्ट से भिन्न कोई कारोबार बैठक में संव्यवहृत नहीं किया जाएगा ।

(10) क्या प्रस्ताव का उचित नोटिस सूचना दिया गया है, के बारे में समस्त प्रश्नों का विनिश्चय अध्यक्ष द्वारा किया जाएगा और जिसका विनिश्चय अन्तिम होगा ।

(11) प्राधिकरण के प्रशासनिक कारोबार से उत्पन्न होने वाली किसी आपातकालीन स्थिति में, जिसमें अध्यक्ष की राय में, तुरन्त कार्रवाई की जानी अपेक्षित है, अध्यक्ष ऐसी कार्रवाई करेगा जिसे वह आवश्यक समझे और तत्पश्चात् अपने विनिश्चय की रिपोर्ट प्राधिकरण को इसकी अगली बैठक में देगा ।

(12) अध्यक्ष, यदि वह आवश्यक और समीचीन समझे, और यदि बैठक द्वारा ऐसा विनिश्चय किया जाता है, समय-समय पर और एक स्थान से दूसरे स्थान पर, बैठक को स्थगित कर सकेगा, परन्तु स्थगित बैठक में असंव्यवहारित छोड़े गये कारोबार से अन्यथा, अन्य कोई कारोबार संव्यवहारित नहीं किया जाएगा, तथा जब स्थगित बैठक को 48 घण्टे के भीतर बुलाया जाना है, तो इसके लिए नया नोटिस देना आवश्यक नहीं है और नियमित बैठक की दशा में समस्त सदस्यों को नोटिस भेजा जाएगा ।

(13) अध्यक्ष, प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को, सभी प्रकार की छुट्टियां प्रदान करने के लिए सक्षम प्राधिकारी होगा ।

(14) यदि अध्यक्ष, रुग्णावस्था के कारण अनुपस्थित होता है या किसी अन्य परिस्थिति के कारण अपने कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ रहता है तो वह तदानुसार लिखित में उपाध्यक्ष को सूचित करेगा

और उपाध्यक्ष उस पर उसकी ओर से अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा तथा ऐसा करते हुए उसके पास उसकी समस्त शक्तियां और विशेषाधिकार रहेंगे और अध्यक्ष के समस्त कर्तव्यों के लिए वह उत्तरदायी होगा । अध्यक्ष की मृत्यु की दशा में अध्यक्ष की शक्तियों, विशेषाधिकारों और उत्तरदायित्वों का निर्वहन, जब तक नया अध्यक्ष निर्वाचित नहीं हो जाता, उपाध्यक्ष द्वारा किया जाएगा ।

(15) उपाध्यक्ष, सभी मामलों में, अध्यक्ष की सहायता करेगा और ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन करेगा और ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा, जैसी उसे अध्यक्ष द्वारा दी गई हैं और अध्यक्ष की अनुपस्थिति में, वह अध्यक्ष को समस्त शक्तियों का प्रयोग करेगा ।

14. प्राधिकरण के शासकीय सदस्य का यात्रा और दैनिक भत्ता. यदि प्राधिकरण के शासकीय सदस्य को प्राधिकरण की बैठक में भाग लेने या लोक हित में प्राधिकरण के किसी कार्य को करने हेतु कोई यात्रा करनी पड़ जाए वह वही यात्रा और दैनिक भत्ता, जो उसे उसकी शासकीय हैसियत में अनुज्ञेय है, लेने का हकदार होगा ।

15. प्राधिकरण के गैर-सरकारी सदस्यों का यात्रा और दैनिक भत्ता. (1) किसी मन्त्री या मुख्य संसदीय सचिव या संसदीय सचिव या विधान सभा सदस्य या संसद सदस्य से अन्यथा प्राधिकरण का गैर-सरकारी सदस्य, जिसे प्राधिकरण की बैठक में भाग लेने या लोक हित में प्राधिकरण के किसी कार्य करने हेतु कोई यात्रा करनी पड़ जाए, उन्हीं दरों और उन्हीं शर्तों और निबन्धनों के अध्याधीन, जैसी प्रथम श्रेणी सरकारी कर्मचारी को अनुज्ञेय है, यात्रा और दैनिक भत्ता लेने का हकदार होगा :

परन्तु गैर-सरकारी सदस्य, जो मन्त्री या मुख्य संसदीय सचिव या संसदीय सचिव या संसद सदस्य या विधान सभा सदस्य है, वह उसी दर और उसी शर्तों और निबन्धनों पर, जैसा कि उसे, मन्त्री या मुख्य संसदीय सचिव या संसदीय सचिव या संसद सदस्य या विधान सभा सदस्य के रूप में यथास्थिति लोक सभा या राज्य सभा सत्र में भाग लेने पर अनुज्ञेय है, यात्रा और दैनिक भत्ता लेने का हकदार होगा ।

(2) यदि कोई सदस्य, जहां पर प्राधिकरण की बैठक आयोजित की गई है, ऐसे स्थान पर निवास करता है तो वह उपरोक्त विनिर्दिष्ट दरों से यात्रा और दैनिक भत्ता लेने का हकदार नहीं होगा किन्तु उसे किराये पर लिए गए यान का केवल वास्तविक व्यय या अधिकतम एक सौ रुपये प्रतिदिन के अध्याधीन अनुज्ञप्त किया जाएगा । दावा वास्तव में संदत्त करने से पूर्व, नियन्त्रक अधिकारी अपनी तुष्टि के लिए ऐसे ब्यौरे जो आवश्यक समझे, को प्राप्त करने के पश्चात् कि वास्तविक खर्च दावा कृत रकम से अन्यून नहीं था, दावा सत्यापित करेगा ।

(3) यदि ऐसा सदस्य अपने वाहन का प्रयोग करता है तो उसे ऐसी दर से जो प्रथम श्रेणी सरकारी कर्मचारी को अनुज्ञेय है या अधिकतम एक सौ रुपये प्रतिदिन के अध्याधीन, मील भत्ता प्रदान किया जाएगा ।

(4) प्राधिकरण के सदस्य को उसके द्वारा इस प्रभाव का प्रमाण-पत्र देय करने पर कि उसने ऐसी यात्रा/विराम हेतु किसी अन्य सरकारी स्त्रोत से कोई यात्रा या दैनिक भत्ता नहीं लिया है, यात्रा और दैनिक भत्ता अनुज्ञेय होगा ।

(5) प्राधिकरण के सदस्य, प्राधिकरण की बैठकों के सम्बन्ध में की गई वास्तविक यात्रा, जो उनके स्थायी निवास स्थान से स्थायी निवास स्थान तक, जिसके बारे में पूर्व सूचना देनी होगी, के लिए यात्रा और दैनिक भत्ते के हकदार होंगे ।

(6) यदि कोई सदस्य प्राधिकरण की बैठक में भाग लेने के लिए अपने स्थायी निवास स्थान से अन्यथा किसी अन्य स्थान से यात्रा करता है या बैठक में भाग लेने के पश्चात् अपने स्थायी निवास से

अन्यथा उस स्थान को वापस लौटता है, तो यात्रा भत्ता तय की गई यात्रा के आधार पर या स्थायी निवास स्थान और प्राधिकरण के बैठक स्थल के मध्य दूरी के आधार पर जो भी कम हो तय किया जाएगा ।

16. सदस्यों के यात्रा भत्ता बिलों की बाबत नियन्त्रक अधिकारी.—मुख्य कार्यकारी अधिकारी, प्राधिकरण के शासकीय या गैर-सरकारी सदस्यों के यात्रा भत्ता बिलों की बाबत नियन्त्रक अधिकारी होगा ।

17. हिमाचल प्रदेश आवास बोर्ड नियम, 1973 के नियम 3 से 10 तक का निरसन. -(1) हिमाचल प्रदेश आवास बोर्ड नियम, 1973 के नियम 3 से 10 तक का एतद्द्वारा निरसन किया जाता है ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी इस प्रकार निरसित नियमों के उपबन्धों के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई इन नियमों के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन विधिमान्य रूप से की गई समझी जाएगी ।

आदेश द्वारा,

हस्ताक्षरित/-
सचिव ।

[*Authoritative English text of this Department Notification No. HSG-1 (A) 3-1/2004, dated 12-9-2005 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India*].

HOUSING DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 12th September, 2005

No. HSG-1 (A) 1-1/2004.—In exercise of the powers conferred by section 61 of the Himachal Pradesh Housing and Urban Development Authority Act, 2004 (Act No. 9 of 2004), the Governor of Himachal Pradesh proposes to make the following rules, for carrying out the purposes of the aforesaid Act and the same are hereby published in the Rajpatra (Extra-ordinary), Himachal Pradesh, for the information of the general public, as required under sub-section (3) of section 1 of the said Act;

If any person likely to be affected by these draft rules has any objection(s) or suggestion(s) to make with regard to the said rules, he may send the same to the Secretary (Housing) to the Government of Himachal Pradesh, Shimla-171002, within 30 days from the date of publication of the same in the Rajpatra, Himachal Pradesh;

The objection(s) or suggestion (s) if any, received within the period specified above shall be taken into consideration by the State Government before finalizing the said rules, namely:—

DRAFT RULES

1. *Short title.*—These rules may be called the Himachal Pradesh Housing and Urban Development Authority (Remuneration and Allowances of the Chairman, Vice-Chairman and Members and their powers and duties) Rules, 2005.

2. *Definitions.*—(1) In these rules, unless the context otherwise requires,—

(*a*) "Act" means the Himachal Pradesh Housing and Urban Development Authority Act, 2004 (Act No. 9 of 2004);

(*b*) "Authority" means the Himachal Pradesh Housing and Urban Development Authority established under section 3 of the Act;

(*c*) "Chairman" means the Chairman of the Authority;

(*d*) "Family" means minor children and parents of a person wholly dependent upon him;

(*e*) "Government or State Government" means the Government of Himachal Pradesh;

(*f*) "Member" means the Member of the Authority; and

(*g*) "Vice-Chairman" means the Vice-Chairman of the Authority;

(2) All other words and expressions used in these rules but not defined shall have the same meaning as has been respectively assigned to them in the Act.

3. *Remuneration of the Chairman and the Vice-Chairman.*—(1) If a Government officer is appointed as the Chairman or the Vice-Chairman, as the case may be, he shall be entitled to get a special pay or remuneration which may be sanctioned by the Government in addition to his own Grade pay and allowances.

(2) If a retired or re-employed Government officer is appointed as the Chairman or the Vice-Chairman as the case may be, he shall get his substantive pay and allowances drawn by him at the time of his retirement minus gross monthly pension :

Provided that where a Government officers was in receipt of the officiating pay at the time of his retirement for a continuous period of not less than one year, he shall get that officiating pay and allowances minus monthly pension.

Explanation.—*The word "gross monthly pension" as used in this rule mean pension plus pension equivalent of death-cum-retirement gratuity and commuted pension.*

(3) If a non-official person is appointed as a Chairman/Vice-Chairman, he shall be paid remuneration at the rate of three thousand rupees per mensem.

(4) If a Minister or a Chief Parliamentary Secretary or a Parliamentary Secretary or a Member of Legislative Assembly or a Member of Parliament, as the case may be, is appointed as the Chairman or the Vice-Chairman as the case may be, he shall not be entitled to any remuneration other than travelling and daily allowances.

4. *Sumptuary allowance.*—There shall be paid to the Chairman/Vice-Chairman a sumptuary allowance to the tune of one thousand rupees, if they happen to be equal to Minister in the State Government and eight hundred rupees per mensem, otherwise.

5. *Conveyance allowance.*—(1) The Chairman or the Vice-Chairman, as the case may be, shall be entitled to the use of a vehicle the expenses on the maintenance and propulsion of which shall be borne by the Authority or in lieu thereof to a conveyance allowance of five hundred rupees per mensem.

(2) The Chairman or the Vice-Chairman, as the case may be, may opt for the services of a chauffeur at Authority's expenses in lieu of conveyance allowance provided in sub-rule (1), if he uses his own car.

6. *Residence.*—(1) The Chairman or the Vice-Chairman, as the case may be, other than a Minister, Chief Parliamentary Secretary, Parliamentary Secretary and Government officers occupying Government accommodation, shall be provided a semi-furnished house, the maintenance charges of which shall be borne by the Authority or in lieu of such house, shall be paid an allowance at the rate of two thousand and five hundred rupees per mensem.

(2) The authority may allow a Chairman or a Vice-Chairman, as the case may be, to continue in free occupation of the house provided to him for a period not exceeding fifteen days from the date of his ceasing to be a Chairman or Vice-Chairman.

(3) The Chairman or the Vice Chairman, as the case may be, shall be liable to pay licence fee at the rate of ten percent of his salary or remuneration in respect of the semi-furnished house allotted to him and the samo shall be recoverable monthly from his salary or remuneration.

Explanation.—*The Chairman or the Vice-Chairman, as the case may be, shall not become personally liable for any payment in case the standard rent of the house allotted to him for residence exceeds the amount specified in sub-rule* (1).

7. *Water and electricity charges.*—The actual water and electricity charges of the residence of the Chairman and the Vice Chairman provided by the Authority shall be borne by the Authority.

8. *Free installation of telephone.*—The Chairman or the Vice-Chairman, as the case may be, shall be entitled to have a telephone installed at his residence, the charges for first installation of and security deposit and annual rent for such telephone shall be borne by the Authority and all other expenses such as those relating to local and outside calls shall be paid by the Chairman or the Vice-Chairman, as the case may be, initially :

Provided that the expenditure on local and outside calls incurred by the Chairman or the Vice-Chairman, as the case may be, in a month shall be reimbursed by the Authority subject to a maximum of three thousand rupees in case of the Chairman and two thousand and five hundred rupees in case of the Vice-Chairman :

Provided further that the Chairman or the Vice-Chairman, as the case may be, may continue to avail himself of the facility of telephone provided to him for a period not exceeding fifteen days from the date of his ceasing to be the Chairman or the Vice Chairman, as the case may be.

9. *Travelling and daily allowances.*—(1) The Chairman or the Vice-Chairman, as the case may be, shall for journeys performed for the purpose of the Authority, be entitled to draw daily allowance at the rate of Rs. 150/- per day :

Provided that no mileage or travelling allowance shall be chargeable in respect of the journeys performed in a vehicle provided by the Authority.

(2) In case the Chairman or the Vice-Chairman, as the case may be, happens to be a Minister or a Chief Parliamentary Secretary or a Parliamentary Secretary or a Members of Legislative Assembly or a Member of Parliament, as the case may be, shall be entitled to draw travelling and daily allowances, at the same rates and on the same terms and conditions, as is admissible to him as a Minister or a Chief Parliamentary Secretary or a Parliamentary Secretary or a Member of Legislative Assembly or a Member of Parliament, as the case may be.

(3) The Chairman or the Vice-Chairman, as the case may be, shall be controlling officer for the purpose of countersigning his travelling allowance bills.

10. *Leave Travel Concession Facility.*—The Chairman or the Vice-Chairman, as the case may be, shall be entitled to Leave Travel Concession/Home Town Concession facility as are admissible to Grade-I Officer of the State Government.

11. *Medical facilities.*—The Chairman or the Vice-Chairman, as the case may be and his family shall be entitled to such medical facilities as are admissible to highest Grade-I officer of the Government.

12. *Leave.*—(1) The Chairman and the Vice-Chairman who are Government Officers shall be entitled to such kinds of leave including casual leave as one admissible to them under the provisions of service rules applicable to them as a Government servant.

(2) The Chairman and the Vice-Chairman who are not Government officers shall be given such leave as is admissible to Grade-I officers of the State Government.

(3) The power to grant leave to the Chairman shall vest in the Government.

(4) The power to grant leave to the Vice-Chairman shall vest in the Chairman.

13. *Powers and duties of the Chairman and the Vice-Chairman.*—(1) The Chairman shall be responsible for the proper functioning of the Authority, the implementation of its decisions and discharge of its duties under the Act.

(2) Subject to such delegation, as may be made under the Act and rules made thereunder, the Chairman shall:—

(*a*) cause the important papers and matters to be presented to the Authority as early as practicable ;

(*b*) issued directions as to the methods of carrying out the decisions of the Authority;

(*c*) maintain or cause to be maintained an account of the receipt and expenditure of the Authority ; and

(*d*) present a draft annual report of the working of the Authority to the Authority for approval, and submit the report as approved by the Authority to the Government and the report approved by the Authority shall also be circulated to the Members of the Authority for information.

(3) The Chairman shall preside over every meeting of the Authority in which he is present.

(4) The Chairman shall have the power to convene the ordinary meetings of the Authority and he shall have the power to convene a special meeting of the Authority either himself or on the directions of the Government.

(5) Except as otherwise provided by the Act or rules made thereunder, all questions coming up before the meeting of the Authority shall be decided by a majority of votes, of the members present and voting and, case of equality of votes the Chairman shall have a second or casting vote.

(6) The Chairman shall have the pover to give all or any of the powers vested in him to the Vice-Chairman at any time, by an order in writing, and to withdraw the powers in the similar manner.

(7) If a member continuously disregards or questions any order or ruling of the Chairman made at a meeting of the Authority, the Chairman may suspended that member for that day.

(8) No motion which has been negated by the Authority, shall again be brought forward, except with the prior permission of the Chairman, within six months from the date on which it was negated.

(9) No business other than as contained in the agenda paper shall be transancted at a meeting, except with the consent of the Chairman.

(10) All questions as to whether proper notice of motion has been given shall be decided by the Chairman and whose decision shall be final.

(11) In any emergency, arising out of the administrative business of the Authory, which in the opinion of the Chairman, requires that immediate action should be taken, the Chairman shall take such action as he deems necessary and shall thereafter, report his decision to the Authority at its next meeting.

(12) The Chairman may, if he thinks it necessary or expedient, and shall, if so decided by the meeting adjourn the meeting from time to time and place to place, but no business shall be transacted at the adjourned meeting other than the business left untransacted at the meeting which has been adjourned and when a adjourned meeting, is to be held within 48 hours, it shall not be necessary to give a fresh notice and a notice shall be sent to all the members in the case of regular meeting.

(13) The Chairman shall be the authority competent to grant all kinds of leave to the Chief Executive Officer of the Authority.

(14) If the Chairman is absent on account of illness or due to other circumstances, is unable to perform his duties, he shall inform the Vice-Chairman in writing accordingly and the Vice-Chairman shall thereupon act on his behalf as the Chairman, and while so doing, he shall have all the powers and privileges of and be responsible for all the duties of the Chairman. In the event of the death of a Chairman, the powers, privileges and responsibilities of the Chairman shall be discharged by the Vice-Chairman until a new Chairman is elected.

(15) The Vice-Chairman shall assist the Chairman in all matters and shall discharge such duties and exercise such powers as may be given to him by the Chairman and in the absence of the Chairman, he shall exercise all the powers of the Chairman.

14. *Travelling and daily allowances to the official members of the Authority.*—If the official member of the Authority has to undertake any journey for attending the meeting of the Authority or for any work of the Authority in the public interest, he shall be entitled to draw the same travelling and daily allowances as are admissible to him in his official capacity.

15. *Travelling and daily allowance to the non-official members of the Authority.*—(1) The non-official member of the Authority other than a Minister or a Chief Parliamentary Secretary or a parliamentary secretary or a Member of Legislative Assembly or a Member of the Parliament, who has to undertake any journey for attending the meeting of the

Authority or for any work of the Authority in public interest, shall be entitled to draw travelling and daily allowances at the same rates and subject to the same terms and conditions as are applicable to a Government servant of the first Grade :

Provided that a non official member, who is a Minister or a Chief Parliamentary Secretary or a Parliamentary Secretary or a Member of Parliament or a Member of Legislative Assembly, shall be entitled to draw travelling and daily allowances at the same rate and on the same terms and conditions, as is admissible to him, as a Minister or a Chief Parliamentary Secretary or a Parliamentary Secretary or a Member of Parliament or a Member of Legislative Assembly, while attending the session of Parliament or Legislative Assembly, as the case may be.

(2) In case a member is residing at a place where meeting of the authority is held, he shall not be entitled to draw travelling and daily allowances at the rates specified above, but shall be allowed only the actual cost of conveyance hired, subject to a maximum of one hundred rupees per day. Before the claim is actually paid, the Controlling Officer shall verify the claim and satisfy himself after obtaining such details as may be considered necessary that the actual expenditure was not less than the amount claimed.

(3) In case such Member uses his own vehicle he shall be granted mileage allowance at such rate as admissible to a Government servant of First Grade subject to a maximum of one hundred rupees per day.

(4) The travelling and daily allowances shall be admissible to a member of the Authority on production of a certificate by him to the effect that he has not drawn any travelling or daily allowance for such journey/halts from any other Government source.

(5) The members of the Authority shall be eligible for travelling and daily allowances for the journeys actually performed in connection with the meetings of the Authority from and to the place of their permanent residence to be named in advance.

(6) If any Member performs a journey from a place to other than the place of his permanent residence to attend a meeting of the Authority or, return to place other than the place of his permanent residence after attending the meeting travelling allowance shall be worked out on the basis of the distance travelled or the distance between the place of permanent residence and the venue of the meeting of the Authority whichever is less.

16. *Controlling officer in respect of travelling allowance bills of the members.*—The Chief Executive Officer shall be the controlling officer in respect of travelling allowance bills of the official or non-official members of the Authority.

17. *Repeal of rules 3 to 10 of the Himachal Pradesh Housing Board Rules, 1973.*—(1) Rules 3 to 10 of the Himachal Pradesh Housing Board Rules, 1973 are hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of rules so repealed shall be deemed to have been validly done or taken under the corresponding provisions of these rules.

By order,

Sd -
Secretary.

नियन्त्रक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित